[redacted]

**विषयः—मध्यप्रदेश मुद्रण और जिल्दसाजी नियम के अन्तर्गत मुद्रण सामग्रियों को मुद्रित कराने बावत्।**

1. इस कार्यालय का ज्ञापन कमांक जी0 बी0 स्टेनो/(वी–56)/99/1069 दिनांक 22–3–2010
2. म0 प्र0 शासन, राजस्व विभाग का ज्ञापन कमांक एफ 4–42/09/सात/4 ए दिनांक 8–6–2009

मैं आपका ध्यान पार्श्व में अंकित ज्ञापनों की ओर आकर्षित करना चाहूंगी,जिसके द्वारा मध्यप्रदेश कार्य आबंटन नियम एवं म0 प्र0 मुद्रण और जिल्दसाजी नियम के अन्तर्गत मुद्रण सामग्रियों को मुद्रित कराने बावत् निर्देश जारी किये गये थे तथा अनुरोध किया गया था कि शासकीय मुद्रण कार्यों के संबंध में संदर्भित ज्ञापन में उल्लेखित दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही हेतु आपके अधीन सर्वसंबंधितों को निर्देशित करने की अपेक्षा की गई थी।

2. जैसा कि इस कार्यालय के ज्ञापन दिनांक 22–3–2010 की कण्डिका 3.1 में स्पष्ट किया गया था, वर्तमान में विभागों/कार्यालयों से प्राप्त होने वाले मुद्रण मांग पत्रों से संबंधित मुद्रण कार्य शासकीय मुद्रणालयों में उपलब्ध संसाधनों से पूर्ण कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

3. गैर सरकारी पंजीकृत मुद्रकों से मुद्रण फलस्वरूप उनके देयकों का परीक्षण/मूल्यांकन इस कार्यालय की परीक्षण समिति द्वारा किये जाने की पूर्व प्रचलित प्रकिया में सुधार की आवश्यकता के दृष्टिगत आगामी आदेश तक/नवीन प्रकिया नियत होने तक देयकों के परीक्षण/मूल्यांकन पर रोक लगायी गई है। अतः ऐसे देयक स्वीकार/मान्य नहीं किये जावे।

4. विषयांतर्गत दिशा–निर्देशों की ओर विशेष ध्यान आकृष्ट करने की दृष्टि से अनुरोध है कि कृपया जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के ध्यान में उक्त निर्देशों को आगामी समीक्षा बैठक में उक्त निर्देशों को अधीनस्थ अधिकारियों के ध्यान में लाये जाने/पालन हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

**संलग्नः** उपरोक्तानुसार
दो ज्ञापन

भवदीया

21.5.2010

(सीमा शर्मा)

**सूची अनुसार**
कलेक्टर,
म0प्र0।